न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 155/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां

दायरा दिनांक 27.07.2023

अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. हरिराम आत्मज बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
2. दीपचंद आत्मज बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां

...अपीलांट्स

बनाम

1. रामगोपाल आत्मज जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
2. हीरालाल आत्मज जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
3. बाबूलाल आत्मज जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
4. बिरधीलाल आत्मज जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
5. केसर आत्मज जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
6. पुष्पा बाई पुत्री जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
7. लाड़ बाई पुत्री जानकीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
8. बुद्धाराम आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
9. रामकल्याण आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
10. राजूलाल आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
11. पिंकी बाई पुत्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
12. जमना बाई पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, जिला बारां
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री रमेश चन्द गुर्जर अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1 एवं 12
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 13

::निर्णय::

दिनांक 24.10.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 06/2019 बउनवान हरिराम वगे0 बनाम रामगोपाल वगे0 मे पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने इंतकाल संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के खातेदार मृतक बद्रीबाई के वारिसान के नाम खोला गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला

अति. संभा. आयुक्त कोटा

कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा परीक्षण न्यायालय तहसीलदार द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू बद्रीबाई (मृतक) के समस्त विधिक वारिसान की जांच की जाकर सही खोला जाने निर्णय दिनांक 12.10.2022 से अपील अपीलांट खारिज की गई।

2. अपीलांट द्वारा हरदो अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई और कथन किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने मृतक खातेदार बद्रीबाई पत्नी स्व0 जानकीलाल जाति माली के खाते एवं कब्जे की कृषि आराजियात का फोती नामान्तरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 रेस्पो0 नं0 1 लगायत 7 एवं मांगीलाल मृतक के पक्ष में समभाग से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। खातेदार बद्री बाई के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की (खाता संख्या 104 एवं 105 की) खसरा संख्या 449 की 0.91 है0, खसरा संख्या 57 की 0.46 है0, खसरा संख्या 58/552 की 0.07 है0, खसरा संख्या 293 की 0.41 है0, खसरा संख्या 446 की 0.12 है0, खसरा संख्या 448 की 0.02 है0 कुल पांच किता 1.08 है0 कृषि आराजियात स्थित थी। खातेदार बद्री बाई ने उसके खाते व हिस्से की दोनों खातों की संपूर्ण आराजियात दिनांक 18.10.2023 को उनके दोनों पौत्र अपीलांट्स हरिराम व दीपचन्द के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर वसीयतनामा में वर्णित सम्पत्ति का वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। खातेदार बद्री बाई की दिनांक 10.02.2018 को मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट्स मृतक खातेदार बद्री बाई के वसीयती उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त भूमि पर खातेदार की मृत्यु के पश्चात् से निरंतर काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। अपीलांट्स उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार बद्री बाई का वसीयती नामान्तरकरण अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक नहीं फरमाने में त्रुटि की है। हरदो अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खातेदार द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर देने से कानूनन प्राकृतिक उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 428 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 व 40 के प्रावधानों के विपरित होने से, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार बद्री बाई की मृत्यु के पश्चात् मृतक खातेदार का फोती नामान्तरकरण पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 18.10.2013 के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु दिनांक 22.08.2018 एवं 22.06.2018 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे, जिस पर गौर किये बिना ही विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने नामा0 सं0 428 दिनांक 26.06.2018 को रेस्पो नं0 1 लगायत 12 के पक्ष में मनमाने तौर पर तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामांतरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मृतक खातेदार बद्री बाई का वसीयती नामान्तरकरण अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने खातेदार बद्री बाई के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की (खाता संख्या 104 एवं 105 की) खसरा संख्या 449 की 0.91 है0, खसरा संख्या 57 की 0.46 है0, खसरा

संख्या 58 / 552 की 0.07 है0, खसरा संख्या 293 की 0.41 है0, खसरा संख्या 446 की 0.12 है0, खसरा संख्या 448 की 0.02 है0 जुमला पांच किता 1.08 है0 कृषि आराजियात स्थित थी। खातेदार बद्री बाई ने उसके खाते व हिस्से की दोनों खातों की संपूर्ण आराजियात दिनांक 18.10.2023 को उनके दोनों पौत्र अपीलांट्स हरिराम व दीपचन्द के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर वसीयम नामा में वर्णित सम्पत्ति का वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। खातेदार बद्री बाई की दिनांक 10.02.2018 को मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट्स मृतक खातेदार बद्री बाई के वसीयती उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त भूमि पर खातेदार की मृत्यु के पश्चात् से निरंतर काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। अपीलांट्स उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार बद्री बाई का वसीयती नामान्तरकरण अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक नहीं फरमाने में त्रुटि की है। हरदो अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खातेदार द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर देने से कानूनन प्राकृतिक उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 428 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 व 40 के प्रावधानों के विपरित होने से विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार बद्री बाई की मृत्यु के पश्चात् मृतक खातेदार का फोती नामान्तरकरण पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 18.10.2013 के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु दिनांक 22.08.2018 एवं 22.06.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये थे, जिस पर गौर किये बिना ही विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने नामा0 सं0 428 दिनांक 26.06.2018 को रेस्पो नं0 1 लगायत 12 के पक्ष में मनमाने तौर पर तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय हरदो न्यायालय निरस्त किये जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्वरण RRT 2018(2) Page 848, RRD 14-05-2016 Page 280, RRD 14-01-2016 Page 14 पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 12.10.2022 न्यायोचित है। विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, पटवारी हल्का द्वारा बद्रीबाई मृतक के समस्त विधिक वारिसान की जाचं की जाकर सहीं खोला गया है, जिसमें अपीलांटगण के पिता बाबूलाल का भी नाम अंकित है। बद्रीबाई (मृतक) को उक्त प्रश्नगत आराजी उसके पति से प्राप्त हुई है। विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तरकरण खोलने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी निर्णय दिनांक 12.10.2022 से अपीलांट की अपील अस्वीकार कर खारिज की गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने इंतकाल संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के खातेदार मृतक बद्रीबाई के वारिसान के नाम खोला गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा परीक्षण न्यायालय तहसीलदार द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू बद्रीबाई (मृतक) के समस्त विधिक वारिसान की जांच की जाकर सही खोला जाने के निर्णय दिनांक 12.10.2022 से अपील

अपीलांट खारिज की गई। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने खातेदार बद्री बाई के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की (खाता संख्या 104 एवं 105 की) खसरा संख्या 449 की 0.91 है0, खसरा संख्या 57 की 0.46 है0, खसरा संख्या 58/552 की 0.07 है0, खसरा संख्या 293 की 0.41 है0, खसरा संख्या 446 की 0.12 है0, खसरा संख्या 448 की 0.02 है0 जुमला पांच किता 1.08 है0 कृषि आराजियात स्थित थी। खातेदार बद्री बाई ने उसके खाते व हिस्से की दोनों खातों की संपूर्ण आराजियात दिनांक 18.10.2023 को उनके दोनों पौत्र अपीलांट्स हरिराम व दीपचन्द के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित कर वसीयम नामा में वर्णित सम्पत्ति का वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। खातेदार बद्री बाई की दिनांक 10.02.2018 को मृत्यु हो गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार बद्री बाई का वसीयती नामान्तरकरण अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक नहीं फरमाते हुये नामान्तरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 तस्दीक किया गया। खातेदार बद्री बाई की मृत्यु के पश्चात् मृतक खातेदार का फोती नामान्तरकरण पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 18.10.2013 के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु दिनांक 22.08. 2018 एवं 22.06.2018 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे, जिस पर गौर किये बिना ही विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू ने नामा0 सं0 428 दिनांक 26.06.2018 को रेस्पो नं0 1 लगायत 12 के पक्ष में मनमाने तौर पर तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 428 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 व 40 के प्रावधानों के विपरित होने से विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरित रेस्पो0 के तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम कनोटिया तहसील अटरू, पटवारी हल्का द्वारा बद्रीबाई मृतक के समस्त विधिक वारिसान की जाचं की जाकर सहीं खोला गया है, जिसमें अपीलांटगण के पिता बाबूलाल का भी नाम अंकित है। बद्रीबाई (मृतक) को उक्त प्रश्नगत आराजी उसके पति से प्राप्त हुई है। विचारण न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तरकरण खोलने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7. उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में मृतक खातेदार बद्री बाई (मृत्यु दिनांक 10.02.2018) द्वारा अपने जीवनकाल में ही रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18.10.2013 को निष्पादित की गई थी, जिसे दिनांक 18.10.2013 को पुस्तक संख्या 3 जिल्ट संख्या 7 में पृष्ठ संचया 196 क्र.सं. 2013000022 पर उप पंजीयक तहसील अटरू में पंजिबद्ध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट हरिराम एवं दीपचंद द्वारा दिनांक 22. 06.2018 को प्रार्थना-पत्र बाबत "रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 18.10.2013 के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने" का पेश किया गया। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत की जांच किये बिना ही मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 01.06.2018 अनुसार ही मृतक खातेदार बद्री बाई के वारिसान के नाम नामांतरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06. 2018 तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। इसके साथ ही मृतक खातेदार बद्री बाई द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18.10.2013 को निरस्त किये जाने बाबत् एक वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, छबड़ा के समक्ष दिनांक 01.02.2024 को मांगीलाल, रामगोपाल एवं बिरधीलाल द्वारा प्रतिवादी बद्रीबाई, हरिराम एवं बाबूलाल के विरूद्ध पेश किया गया, जिसे 16.12.2020 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर विड्रो किये जाने से खारिज किया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट हरिराम एवं दीपचंद द्वारा दिनांक 22.06.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत "रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 18.10.2013 के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने" का निस्तारण किये बिना ही मृतक खातेदार के वारिसान के नाम

अति. सं. आयुक्त कोटा

नामांतरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 तस्दीक किया जाना प्रकट होता है, जो न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत प्रकरण में मृतक खातेदार बद्रीबाई द्वारा निस्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18.10.2013 को अवलोकन किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 12.10.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 428 दिनांक 26.06.2018 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का प्रकरण संख्या 06/2019 बउनवान हरिराम वगै0 बनाम रामगोपाल वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, अटरू को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर मृतक खातेदार बद्री बाई के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत का समुचित परीक्षण कर, विधिक वारिसान की समुचित जांच कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलांस सुनाया गया।

24/10/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा